Dr. S. S. Pandey

Mental Health Care Act 2017

उद्देश्य

1. मानसिक तौर पर बीमार लोगों के इलाज और सेवा को सुनिश्चित करना
2. आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर करना

प्रमुख प्रावधान / लक्षण

1. सभी सरकारी अस्पतालों में, मानसिक तौर से बीमार लोगों को इलाज का अधिकार तथा बेघर एवं गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज का प्रावधान (धारा-18)
2. मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को, लिखित रूप से, यह निर्धारित करने का अधिकार कि, 'उसका इलाज एवं देख-भाल किस प्रकार से किया जाये' (धारा-18)
3. मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति की देखभाल हेतु, 'प्रतिनिधि' की नियुक्ति का प्रावधान (धारा-14)
4. आत्महत्या का प्रयास करने के मामले को, एक मानसिक बीमारी मानते हुए, ऐसे मामले को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और पीड़ित व्यक्ति को सजा न देने का प्रावधान, यदि वह गहरे अवसाद एवं परेशानियों के कारण आत्महत्या करता है (धारा-115)
(IPC की धारा 309 के तहत् आत्महत्या, अपराध की श्रेणी में)
5. समुदाय में जीवन निर्वाह का अधिकार (धारा-19); भेदभाव से निषेध का अधिकार (धारा-21) तथा क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार से संरक्षण का अधिकार (धारा-20)
6. मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति को यह तय करने का अधिकार कि, उसकी कोई जानकारी मीडिया को नहीं दी जायेगी (धारा-23)
7. राष्ट्रीय स्तर पर 'National Mental Health Authority' का गठन तथा राज्यों में भी इसके गठन का प्रावधान (धारा-33 एवं 45)
8. 'Mental Health Review Board' की स्थापना का प्रावधान, जिससे मानसिक तौर पर बीमार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जा सके और समय रहते उचित निर्देश दिये जा सके (धारा-73)
9. कानून के उल्लंघन पर 6 माह जेल या 10000 जुर्माना या दोनों का प्रावधान तथा अपराध दोहराने पर 2 वर्ष जेल या 50000 से 5 लाख तक जुर्माना या दोनों का प्रावधान (धारा-107 से 109)
10. इन अधिकारों के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए, 'Mental Health Care Programme' चलाने का प्रावधान (धारा-30)

समीक्षा

निश्चित रूप से.....

यह अधिनियम, मानसिक रूप से बीमार दिव्यांगों के प्रति लोक कल्याणकारी राज्य की चिंता एवं संवेदनशीलता को दर्शाता है और इनके रक्षोपाय एवं कल्याण को सुरक्षित या सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है

परंतु, इस अधिनियम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि, इसको दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ, विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा संवेदनशीलता के साथ लागू किया जाये

योजनागत प्रयास

1. सुगम्य भारत अभियान – 2015
2. Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme (DDRS)- 2003, 2018 (NGO को अनुदान देना)
3. Scheme for Implementation of Rights of Persons with Disabilities Act – 2016 (SIPDA)
4. Assistance to Disabled Persons for Purchase/Fitting of Aids and Appliances (ADIP)
5. Scheme of Financial Assistance for Skill Training of PwDs - 2015
6. स्वावलंबन योजना 2016 (लक्ष्य 2022 तक 25 लाख दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराना)
7. दिव्यांग छात्रों के लिए, Pre Matric / Post Matric छात्रवृत्तियां, उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, नि:शुल्क कोंचिंग
8. दिव्यांगजनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु, निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को प्रोत्साहन योजना (18 मार्च, 2018 को निजी क्षेत्र में कंपनी को दिव्यांगों के PF तथा ESIC में 10 साल तक कोई अंशदान नहीं देना होगा क्योंकि इनका भुगतान अब सरकार करेगी)
9. दिव्यांगजनों में कौशल प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय कार्य योजना – NAP
10. जागरूकता संरक्षण तथा प्रचार योजना-2014
11. जिला विकलांगता पूनर्वास केंद्र (DDRC) तथा 2017 में सुगम्य पुस्तकालय योजना

Dr. S. S. Pandey

दीनदयाल दिव्यांग पूनर्वास योजना- (DDRS) 2018

एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 1999 में प्रारंभ 1 अप्रैल को DDRS नामाकरण और 1 अप्रैल, 2018 को नवीनतम संशोधन के साथ लागू

(Scheme to Promote Voluntary Action for Persons with Disabilities)

उद्देश्य

1. समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय पर आधारित, विकलांगों के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए सुगम्य वातावरण सृजित करना
2. विकलांगों के लिए मुख्य आयुक्त को विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995/2016 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, स्वत: कार्यवाही को बढ़ावा देना

प्रमुख प्रावधान

1. इस योजना के तहत्, दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा एवं पूनर्वास हेतु काम करने वाले NGO को सहायता अनुदान उपलब्ध कराना

2. इस सहायता अनुदान की मात्रा, परियोजना प्रस्तावों के क्षेत्र, गुणों आदि के आधार पर निर्धारित, जो किसी परियोजना बजट के 90% तक हो सकती है। (8 पूर्वोत्तर राज्य, सीमावर्ती जिलों तथा वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों हेतु 100%)

3. NGO की धीमी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने हेतु, प्रत्येक वर्षानुक्रम में 5% विशेष अनुदान की व्यवस्था, ताकि अनुदान के स्तर को बढ़ाया जा सके

4. इस योजना के तहत् आवेदन हेतु कम से कम 2 वर्ष का गैर-सरकारी संगठन के रूप में, सार्वजनिक न्यास के रूप में, चेरिटेबल कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है

समीक्षा

निश्चित रूप से.....

यह योजना दिव्यांगों के रक्षोपाय एवं कल्याण के प्रयास को तीव्र करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है; जैसे–

1. दिव्यांगों का शैक्षिक विकास संभव
2. कौशल विकास संभव
3. समुचित पूनर्वास संभव
4. दिव्यांगों की सार्वभौमिक सुगम्यता संभव
5. दिव्यांगों का सशक्तिकरण संभव

परंतु.....

यह तभी सफल माना जायेगा, जब इसको दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ एवं भ्रष्टाचार मुक्त तरीकों से लागू किया जाये

Dr. S. S. Pandey

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)

उद्देश्य

दिव्यांगजन अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न कार्यकलापों हेतु, विशेषकर विश्व- विद्यालयों, सार्वजनिक भवनों, राज्य सरकार सचिवालय, राज्य दिव्यांगता आयुक्त के कार्यालय आदि में बाधामुक्त वातावरण सृजित किये जाने हेतु राज्य सरकारों और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा संचालित संस्थानों / संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना

उपरोक्त उद्देश्य को पूरा करने हेतु, इस योजना के अंतर्गत निम्न गतिविधियों पर बल

1. नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा-46 के अनुसार, दिव्यांगजन के लिए महत्त्वपूर्ण सरकारी भवनों में बाधा मुक्त वातावरण मुहैया कराना
2. दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर वेबसाइटों को सुगम्य बनाना
3. भौतिक तथा डिजिटल दोनों पुस्तकालयों और अन्य ज्ञान केंद्रों में सुगम्यता को बढ़ाना
4. दिव्यांगजन हेतु यूनिवर्सल आईडी पहचान और सर्वे / जारी करना
5. सीआरसी / आरसी / आउटरीच केंद्र तथा डीडीआरसी को समर्थन देना और नए सीआरसी और डीडीआरसी की स्थापना करना

6. दृष्टि बाधितों, शारीरिक दिव्यांगों, श्रवण बाधितों, मानसिक मंदता वाले शिशुओं और युवा बच्चों को उन्हें नियमित स्कूलिंग हेतु तैयार करने के लिए, आवश्यक कौशल प्रदान करने की दृष्टि से प्रारंभिक निदान तथा हस्तक्षेप केंद्र स्थापित करना
7. दिव्यांगजन हेतु रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए, उनके लिए कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र तथा अन्य कार्यक्रम तैयार करना
8. दिव्यांगजन हेतु विशेष मनोरंजन केंद्र बनाना
9. दिव्यांगजन हेतु अधिकतम शारीरिक पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए खेलकूद कार्यक्रमों का समर्थन

सिपडा योजना के तहत दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAP)

21 मार्च, 2015 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से एक केंद्रीय क्षेत्रक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की गई है

उद्देश्य और कवरेज

- यह योजना 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों को कवर करेगा
- प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का कुल 30% प्रवेश महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित
- इस विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण
- दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक अलग क्रॉस कटिंग सेक्टर कौशल परिषद् का निर्माण

National Trust for Welfare of Persons with Disabilities के अंतर्गत विभिन्न योजनाएँ

1. दिशा (प्रारंभिक हस्तक्षेप और स्कूल तत्परता योजना)
2. विकास (दिवस-देखभाल सहायता योजना)
3. समर्थ (राहत देखभाल योजना/राहत गृह)
4. घरौंदा (वयस्कों हेतु सामूहिक गृह योजना)
5. 'निरामय' (स्वास्थ्य बीमा योजना)
6. सहयोगी (देखभालकर्ता प्रशिक्षण योजना)
7. ज्ञान प्रभा (शैक्षिक सहायता योजना)
8. प्रेरणा (विपणन सहायता योजना)
9. सम्भाव (सहायक यंत्र और सहायक डिवाइसें उपलब्ध कराने से संबंधित योजना)
10. बढ़ते कदम (जागरूकता और सामुदायिक विचार-विमर्श योजना)